कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा.48(28)सविरा/बैंक–2/89 पार्ट–7　　　　दिनांकः– 8-11-2017

प्रबन्ध निदेशक
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.
...............................(समस्त)

विषयः– बैंक के कार्मिकों के सेवा हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार की आज्ञा आई.डी.1874/पीएस/पीएससी/2017 दिनांक 25.10.2017 तथा आई.डी.3460/मंत्री/सह/2017 दिनांक 25.10.2017 की अनुपालना में निर्देशित किया जाता है कि बैंक में मानव संसाधन की कमी के चलते परिचालन में आ रही कठिनाईयों के कारण नियोक्ता बैंक प्रशासन यदि सेवा हस्तान्तरित कामिकों को इच्छित/सेवा हस्तान्तरित बैंक में कार्यग्रहण किये जाने हेतु कार्यमुक्त करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्मिकों के पद को नई भर्ती हेतु रिक्त मानते हुए कार्मिकों की नई भर्ती होने के पश्चात कार्यमुक्त किया जा सकता है। बैंक में सेवा हस्तान्तरित कार्मिकों द्वारा नियोक्ता बैंक से कार्यमुक्त नहीं हो पाने के कारण ज्योईनिंग नहीं दी गई है तो ऐसे सेवा हस्तान्तरित कार्मिक का पद नई भर्ती हेतु भरा हुआ माना जावें। **तदानुसार रिक्त पदों की गणना कर नई भर्ती हेतु संवर्गवार व वर्गवार महिला व पुरूष के रिक्त पदों की सूचना सदस्य सचिव, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, जयपुर एवं विभाग को सात दिवस में भेजा जाना सुनिश्चित करें** एवं प्रति विभाग को भी प्रेषित करावें।

sd-
(जी.एल. स्वामी)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, 10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहकारी समितियॉं, प्रधान कार्यालय, जयपुर।

215

संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग/एस.टी.)